

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पत्रांक-3/सी0एस0/एम0-18/2026 पटना-15, दिनांक-.....

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

जल संसाधन, वित्त, ग्रामीण विकास, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, लघु जल संसाधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पथ निर्माण, विज्ञान, प्रादेशिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्रामीण कार्य, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, ऊर्जा, खान एवं भूतत्व, समाज कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गन्ना उद्योग तथा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं0-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 03-दूरभाष व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।
आदेश : 12,92,000/- (बारह लाख बेरानवे हजार रु0) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 03-दूरभाष व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका विपत्र कोड सं0-04-2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के पत्र सं0-236 वि0, दिनांक-09.03.2026 एवं परिपत्र सं0-2419 वि0(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जावेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-18/2026..... पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-18/2026..... 517..... पटना-15, दिनांक-13/05/2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विकास भवन, पटना / विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को CFMS में ऑनलाईन करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को इस आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रिगण-13 03-दूरभाष व्यय के तहत
 वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कुल आवंटन
1	जल संसाधन	38,000/-
2	वित्त	38,000/-
3	ग्रामीण विकास	38,000/-
4	कृषि	38,000/-
5	राजस्व एवं भूमि सुधार	38,000/-
6	स्वास्थ्य	38,000/-
7	भवन निर्माण	38,000/-
8	सहकारिता	38,000/-
9	नगर विकास एवं आवास	38,000/-
10	परिवहन	38,000/-
11	उच्च शिक्षा	38,000/-
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	38,000/-
13	योजना एवं विकास	38,000/-
14	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण	38,000/-
15	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	38,000/-
16	लघु जल संसाधन	38,000/-
17	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	38,000/-
18	आपदा प्रबंधन	38,000/-
19	पथ निर्माण	38,000/-
20	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा	38,000/-
21	पर्यटन	38,000/-
22	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	38,000/-
23	ग्रामीण कार्य	38,000/-
24	उद्योग	38,000/-
25	अल्पसंख्यक कल्याण	38,000/-
26	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन	38,000/-
27	ऊर्जा	38,000/-
28	खान एवं भूतत्व	38,000/-
29	समाज कल्याण	38,000/-
30	शिक्षा	38,000/-
31	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	38,000/-
32	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	38,000/-
33	गन्ना उद्योग	38,000/-
34	पंचायती राज	38,000/-
कुल योग		12,92,000/- (बारह लाख बेरानवे हजार रु०)


 (अखिलेश कुमार सिंह)
 सरकार के अपर सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
 बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पत्रांक-3/सी0एस0/एम0-16/2026 पटना-15, दिनांक-.....

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

जल संसाधन, वित्त, ग्रामीण विकास, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, लघु जल संसाधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पथ निर्माण, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्रामीण कार्य, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, ऊर्जा, खान एवं भूतत्व, समाज कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गन्ना उद्योग तथा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं0-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

आदेश : 28,90,000/- (अठारह लाख नब्बे हजार रु0) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका विपत्र कोड सं0-04-2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के पत्र सं0-236 वि0, दिनांक-09.03.2026 एवं परिपत्र सं0-2419 वि0(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पटित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-16/2026 पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-07/2025 518 पटना-15, दिनांक-13/05/2024

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विकास भवन, पटना / विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को CFMS में ऑनलाईन करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को इस आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत
 वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कुल आवंटन
1	जल संसाधन	85,000/-
2	वित्त	85,000/-
3	ग्रामीण विकास	85,000/-
4	कृषि	85,000/-
5	राजस्व एवं भूमि सुधार	85,000/-
6	स्वास्थ्य	85,000/-
7	भवन निर्माण	85,000/-
8	सहकारिता	85,000/-
9	नगर विकास एवं आवास	85,000/-
10	परिवहन	85,000/-
11	उच्च शिक्षा	85,000/-
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	85,000/-
13	योजना एवं विकास	85,000/-
14	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण	85,000/-
15	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	85,000/-
16	लघु जल संसाधन	85,000/-
17	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	85,000/-
18	आपदा प्रबंधन	85,000/-
19	पथ निर्माण	85,000/-
20	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा	85,000/-
21	पर्यटन	85,000/-
22	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	85,000/-
23	ग्रामीण कार्य	85,000/-
24	उद्योग	85,000/-
25	अल्पसंख्यक कल्याण	85,000/-
26	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन	85,000/-
27	ऊर्जा	85,000/-
28	खान एवं भूतत्व	85,000/-
29	समाज कल्याण	85,000/-
30	शिक्षा	85,000/-
31	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	85,000/-
32	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	85,000/-
33	गन्ना उद्योग	85,000/-
34	पंचायती राज	85,000/-
कुल योग		28,90,000/- (अठईस लाख नब्बे हजार रु०)


 (अखिलेश कुमार सिंह)
 सरकार के अपर सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
 बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

पत्रांक-3/सी0एस0/एम0-17/2026 पटना-15, दिनांक-.....

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह (भा0प्र0से0),
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,

जल संसाधन, वित्त, ग्रामीण विकास, कृषि, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, परिवहन, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, लघु जल संसाधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पथ निर्माण, विज्ञान, प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, ग्रामीण कार्य, उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, ऊर्जा, खान एवं भूतत्व, समाज कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, गन्ना उद्योग तथा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं0-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में निधि का आवंटन।

आदेश : 34,00,000/- (चौतीस लाख रु0) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका विपत्र कोड सं0-04-2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के पत्र सं0-236 वि0, दिनांक-09.03.2026 एवं परिपत्र सं0-2419 वि0(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-17/2026 पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-संलग्न सूची।

ह0/-

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/सी0एस0/एम0-17/2026 519 पटना-15, दिनांक-..... 13/05/2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / विकास भवन, पटना / विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को CFMS में ऑनलाईन करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को इस आवंटनआदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

(अखिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक कुल आवंटन
1	जल संसाधन	1,00,000/-
2	वित्त	1,00,000/-
3	ग्रामीण विकास	1,00,000/-
4	कृषि	1,00,000/-
5	राजस्व एवं भूमि सुधार	1,00,000/-
6	स्वास्थ्य	1,00,000/-
7	भवन निर्माण	1,00,000/-
8	सहकारिता	1,00,000/-
9	नगर विकास एवं आवास	1,00,000/-
10	परिवहन	1,00,000/-
11	उच्च शिक्षा	1,00,000/-
12	स्त्राद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,00,000/-
13	योजना एवं विकास	1,00,000/-
14	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण	1,00,000/-
15	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	1,00,000/-
16	लघु जल संसाधन	1,00,000/-
17	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	1,00,000/-
18	आपदा प्रबंधन	1,00,000/-
19	पथ निर्माण	1,00,000/-
20	विज्ञान प्रार्वेदिकी एवं तकनीकी शिक्षा	1,00,000/-
21	पर्यटन	1,00,000/-
22	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	1,00,000/-
23	ग्रामीण कार्य	1,00,000/-
24	उद्योग	1,00,000/-
25	अल्पसंख्यक कल्याण	1,00,000/-
26	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन	1,00,000/-
27	ऊर्जा	1,00,000/-
28	स्त्राम एवं भूतत्व	1,00,000/-
29	समाज कल्याण	1,00,000/-
30	शिक्षा	1,00,000/-
31	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1,00,000/-
32	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1,00,000/-
33	गन्ना उद्योग	1,00,000/-
34	पंचायती राज	1,00,000/-
कुल योग		34,00,000/- (चौतीस लाख रु०)


 (अखिलेश कुमार सिंह)
 सरकार के अपर सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
 बिहार, पटना।